न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 45/2020
GCMS No. : 2020/00144

–:: वादीया ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. हंसादेवी पत्नी हरिराम जाति– ब्राह्मण, निवासी– नाईयों का मोहल्ला ग्राम आ०कालू, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, महोदय जिला– पाली 2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.। 3.

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.17/07/2020

उपस्थितः–

1. श्री रमेशचन्द कुमावत, श्री चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्ता, वादीया।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः– 23/12/2021

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्रीमति सुगनीबाई पत्नि स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी जाति ब्राहाम्ण निवासी आ.कालू के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम आ०कालू प्रथम पटवार हल्का आ० कालू प्रथम जिला– पाली खसरा नम्बर 1972 कुल रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उक्त भूमि की एक मात्र स्वामिनी श्रीमति सुगनीबाई ही थी। उपरोक्त जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमति सुगनीबाई के पति का देहान्त पूर्व में हो चुका था तथा श्रीमति सुगनीबाई के कोई भी जायंदा संतान व अन्य उत्तराधिकारी नही होने से तथा वृद्धावस्था होने से वादीया ही उनकी देखभाल व सेवा आदि करती थी। श्रीमति सुगनीबाई के कोई संतान नही होने व अन्य उत्तराधिकारी नही होने से वादीया ही सेवा चाकरी एवं देखभाल से खुश होकर उन्होने अपने स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 03.02.1967 को वादीया के पक्ष में एक वसीयतनामा अन्तिम इच्छापत्र स्वेच्छा से तहरीर व तकमील करवाया। उक्त वसीयतनामा अन्तिम इच्छापत्र के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति नहीं की गई। वसीयतनामा अन्तिम इच्छापत्र की प्रतिलिपि वादपत्र के साथ पेश की जा रही है। स्वर्गीय श्रीमति सुगनीबाई द्वारा वादीया के पक्ष में तकमील किया गया वसीयतनामा अन्तिम इच्छा[...]सार उनके जीवनकाल में उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा स्वर्गीय श्रीमति सुगनीबाई [...] तथा उनके मरणोपरान्त उक्त कृषि भूमि पर वादीया का हक व [...] रहेगा। वर्ष 1985 श्रीमति सुगनीबाई का देहान्त हो जाने पर वादीया द्वारा उनका अन्तिम संस्कार हिन्दू रिति रिवाज अनुसार सम्पूर्ण कर्मकाण्ड करवाया गया। जिसका सम्पूर्ण व्यय वादीया द्वारा ही वहन किया गया है। स्वर्गीय श्रीमति सुगनीबाई के देहान्त के पश्चात से लेकर अब तक वादपत्र के पद संख्या 01 में दर्शित कृषि भूमि पर वादीया ही काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग वर्ष 1985 से निरन्तर वादीया द्वारा ही किया जा रहा है। कृषि भूमि का उपयोग उपभोग वादीया द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में किसी को भी कोई आपत्ती नहीं है। स्वर्गीय श्रीमति सुगनीबाई द्वारा वादीया के पक्ष में तकमील किये गये वसीयतनामा/अन्तिम इच्छापत्र के आधार पर वादीया द्वारा श्रीमान पटवार हल्का आ0 कालू प्रथम के समक्ष राजस्व अभिलेख में स्वर्गीय श्रीमति सुगनीवाई के नाम के स्थान पर वादीया के नाम का इन्द्राज करने के सम्बन्ध में बार बार निवेदन करने के उपरान्त भी पटवारी हल्का आ0कालू प्रथम द्वारा राजस्व अभिलेख में वादीया के नाम का इन्द्राज नही करने पर वादीया को श्रीमान के समक्ष यह घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पड़ा है इसलिए यह घोषणा का वादपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 जिला कलेक्टर महोदय पाली एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण उक्त वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु वादी का वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह प्रार्थना पत्र अनुमति लेकर सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का सादर पेश है। वादहेतुक तहसील कार्यालय जैतारण से जमाबंदी की नकलें दिनांक 07.07.2020 को प्राप्त करने पर व दिनांक 09–01.2020 को अन्तिम बार वादीया द्वारा राजस्व अभिलेख में अपने नाम का इन्द्राज करवाने हेतु श्रीमान पटवारी हल्का आ0कालू प्रथम को निवेदन करने के उपरान्त भी वादीया के नाम इन्द्राज राजस्य अभिलेख में नहीं करने पर बमुकाम आ व कालू तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यह वाद अन्दर म्याद विचारण हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी राज पैरोकार तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा और मौका स्थिति रिपोर्ट पेश किया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाबदावा पेश किया, जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 ने इकबालिया जवाब दावा में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सुगनीबाई पत्नी स्वर्गीय मोहनलाल जी महाजन की थी, सुगनीबाई का देहान्त हो चुका है तथा सुगनीबाई के जायन्दा सन्तान नहीं है तथा वादीया ही सुगनीबाई की सेवा करती आ रही थी। वादिया हंसादेवी के पक्ष में किया गया वसीयत पत्र दिनांक 03.02.1967 सही होने से स्वीकार है। वादग्रस्त आराजी पर सन् 1985 से निरंतर वादीया का कब्जा काश्त [illegible]

हस्तगत वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया ज[illegible] द[illegible] पेश करनें तथा कोई भी प्रतिवाद पत्र पेश नहीं होनें के कारण [illegible] संभव नहीं होनें से पृथक से विवाद्यक विरचित नहीं किये गये तथा प्रकरण में साक्ष्य वादी ली गई तथा उभयपक्ष की बहस सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:15 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात, इकबालिया जवाब दावा, साक्ष्य शपथपत्र का गहनता से अध्ययन किया। बहस विद्वान

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. वादीया के वादपत्र अनुसार वादीया हंसादेवी पत्नी हरिराम ब्राह्मण निवासी आ0कालू द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम आ0कालू के खसरा संख्या 1972 रकबा 09-17 बीघा की खातेदार श्रीमति सुगनीबाई पत्नी स्वर्गीय मोहनलाल महाजन निवासी आ0कालू के फौत हो जानें एवं मृतका खातेदार द्वारा दिनांक 03.02.1968 को वादीया के पक्ष में वसीयतनामा अन्तिम इच्छापत्र तहरीर किये जाने के आधार पर स्वयं के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो जैरकार है।

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाबदावा में कथन किया है कि ग्राम आ0कालू प्रथम की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 497 में खसरा संख्या 1972 रकबा 09-17 किस्म बारानी अव्वल में सुगनीदेवी बेवा मोहनलाल कौम महाजन के नाम दर्ज है।

3. प्रतिवादी संख्या 03 व 04 ने इकबालिया जवाबदावा में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सुगनीबाई पत्नी स्वर्गीय मोहनलाल जी महाजन की थी, सुगनीबाई का देहान्त हो चुका है तथा सुगनीबाई के जायन्दा सन्तान नहीं है तथा वादीया ही सुगनीबाई की सेवा करती आ रही थी। वादिया हंसादेवी के पक्ष में किया गया वसीयत पत्र दिनांक 03.02.1967 सही होने से स्वीकार है। वादग्रस्त आराजी पर सन् 1985 से निरंतर वादीया का कब्जा काश्त है इत्यादि। वादपत्र में चाहे गये अनुतोष यदि वादीया को दिये जाते है तो उसमें प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 को कोई आपत्ति नहीं है। वादीया के प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 हुकमीचन्द सुगनीबाई का भतीजा अर्थात् भाई स्वर्गीय तुलसीराम का पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 04 श्रीपाल उक्त हुक्मीचन्द का पुत्र है।

4. वादपत्र एवं उपलब्ध भू अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी की मृतका खातेदार सुगनीबाई स्वर्गीय मोहनलाल महाजन निवासी आ0कालू तहसील जैतारण की पत्नी है। वादीया द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि सुगनीबाई की कोई जायन्दा संतान एवं उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन वादीया द्वारा वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी सुगनीबाई को उसके स्वर्गीय पति मोहनलाल से अर्जित हुई है या उसके पिता पक्ष से प्राप्त हुई है या उसकी स्वअर्जित आराजी है। वादीया द्वारा मृतका सुगनीबाई के वारिसान के तौर पर सुगनीबाई के भाई के पुत्र एवं पौत्र को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया है लेकिन सुगनीबाई के पति मोहनलाल के रक्तसम्बन्धी वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित ही नहीं किया है, इस प्रकार वादीया द्वारा जो वसीयतनामा के आधार पर हस्तगत वाद प्रस्तुत [illegible] अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है के सम्बन्ध में उक्त कथित वसीयत से प्रभावित हितबद्ध पक्षकारान् को पक्ष रखनें का समुचित अवसर एवं विकल्प उपलब्ध ही नहीं किया है जोकि यदि उक्त कथित वसीयत नहीं होनें की दशा में प्रश्नगत आराजी उनमें निहित होती। वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में भू प्रबन्ध से पूर्व एवं भू प्रबन्ध के पश्चात् के समस्त भू अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादीया द्वारा साक्ष्य के रूप में केवल स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, अन्य कोई लिखित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bi
Date: 2022.01.24 18:29:15 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वादीया का वादपत्र भली भांति साबित नहीं हो पाता है।

5. वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध प्रस्तुत कथित वसीयतनामा जोकि दो रूपये के स्टाम्पपत्र पर दिनांक 03.02.1967 को निष्पादित होना अंकित किया हैं। वादीया द्वारा सुगनीबाई का वर्ष 1985 में देहान्त होना अंकित किया है लेकिन उक्त कथित वसीयतनामा के आधार पर वादपत्र वर्ष 2020 में वर्ष किया है। जोकि सन्देह उत्पन्न करता है। वादीया द्वारा उक्त कथित वसीयतनामा में बतौर गवाहन् अंकित व्यक्तियों की साक्ष्य नहीं करवाई गई है। साथ ही कथित वसीयतनामा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उसमें भिन्न भिन्न स्याही का प्रयोग, ..., कांट छांट की हुई है, जो कि उक्त कथित वसीयतनामा को संन्देहस्पद बनाते है। वादीया द्वारा कथित वसीयतनामा का बतौर साक्ष्य के रूप में भलीभांति परीक्षण नहीं करवाया है, केवल न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर बतौर साक्ष्य पेश किया है। वादीया की यह जिम्मेदारी है कि वह जिस दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है, उसे न्यायालय के समक्ष भलीभांति परीक्षण करवाकर समस्त संदेह से परे साबित करें लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीया ऐसा करनें में पूर्णतया असफल रहीं है तथा ऐसी दशा में वादीया द्वारा प्रस्तुत कथित वसीयतनामा को विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

6. अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत कथित वसीयतनामा को बतौर विश्वसनीय साक्ष्य साबित कर पानें में असफल रहने, मृतक मोहनलाल एवं मृतका सुगनीबाई के समस्त विधिक वारिसान/उत्तराधिकारीयों को बतौर पक्षकार संयोजित नहीं करनें, तथा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित समस्त भू अभिलेख यथा भू प्रबन्ध के पूर्व से लेकर वर्तमान तक की जमाबन्दीयों, तथा नामान्तरण पंजिका, आदि प्रस्तुत नहीं करनें तथा वादीया द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं के साक्ष्य शपथपत्र के अलावा अन्य किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें से वादीया का वादपत्र बखुबी एवं सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अतः हस्तगत वादपत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादिया अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:29:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी सीतारण
(राजस्थान)